न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 226/2024
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

प्रियाप्रीत पुत्री श्री जीवन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीया

बनाम्

1. जीवन सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–
वादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांकः– 3.6.2024

वादीया प्रियाप्रीत ने प्रतिवादीगण जीवन सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 आपस में पिता–पुत्री है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीया के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 53/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.253 है. कृषि भूमि, चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 54/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2.656 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 7 एम. जे.डी. के खाता सं. 55/43 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1.265 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीया व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीया व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया था। वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं :–

(क) **वादीया प्रियाप्रीत पुत्री श्री जीवन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः–**

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 53/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
150/175	18	8/0.253 है.
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 54/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
149/174	12	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.
150/174	11	1/0.253 है., 2/1/0.126 है.

मुमकिन 0.835 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 0.885 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 55/43 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
149/174	12	15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.

मुमकिन 0.228 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 जीवन सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–**

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:28:
Reason: SelfAttested

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 54/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
149/173	2	3/1/0.215 है., 3/2/0.038 है., 4/1/0.215 है., 4/2/0.038 है., 5/1/0.215 है., 5/2/0.038 है. 7,14,17,24/0.253 है.प्र.

मुमकिन 1.657 है., गै.मु. 0.114 है., कुल 1.771 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 55/43 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
149/173	2	6,15,16,25/0.253 है.प्र. कुल 1.012 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीया खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीया ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीया को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा सहमति का जवाब दावा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

वाद पत्र के समर्थन में वादीया के द्वारा तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 53/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 54/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 एवं चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 55/43 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 3 है। साक्ष्य वादी में वादीया का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीया के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त खाता के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीया एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीया ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीया के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 53/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है. कृषि भूमि, चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 54/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.656 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 55/43 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.[illegible] कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स[illegible] व जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम [illegible] नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परि[illegible] की संयुक्त कृषि [illegible] है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। [illegible] विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:28:2
Reason: SelfAttested

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीया मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है किः-

(क) **वादीया प्रियाप्रीत पुत्री श्री जीवन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

लगातार --3

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 53/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

150/175 18 8/0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 54/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

149/174 12 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,

6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.

150/174 11 1/0.253 है., 2/1/0.126 है.

मुमकिन 0.835 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 0.885 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 55/43 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

149/174 12 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.

मुमकिन 0.228 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा वादीया के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 53/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है. कृषि भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलजमन किया जावे, इसी प्रकार वादीया के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 54/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में दर्ज कृषि भूमि में से वादीया को 0.885 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार वादीया के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 55/43 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में में दर्ज कृषि भूमि में से वादीया को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार वादीया का खाता अलग से कायम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 3.6.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:28:29
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 226/2024

प्रियाप्रीत पुत्री श्री जीवन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीया

बनाम्

जीवन सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 3.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है किः-

वादीया प्रियाप्रीत पुत्री श्री जीवन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 53/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
150/175	18	8/0.253 है.
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 54/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
149/174	12	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
		6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.
150/174	11	1/0.253 है., 2/1/0.126 है.

मुमकिन 0.835 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 0.885 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 55/43 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
149/174	12	15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.

मुमकिन 0.228 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि मुताबिक बंटवारा वादीया के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 53/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है. कृषि भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलजमन किया जावे, इसी प्रकार वादीया के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 54/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में दर्ज कृषि भूमि में से वादीया को 0.885 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार वादीया के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 55/43 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में में दर्ज कृषि भूमि में से वादीया को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार [illegible] से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो [illegible] मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....x........ निल ....x........ मुब्लिक ....x........ निल ....x........ बाबत निल........x........ खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....x........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 3.6.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.06.18 17:28:29
Reason: SelfAttested